कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर

प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 14.06.2026

थाना थरियांव पुलिस द्वारा अपनी बहन की हत्या कर शव कुएं में फेंकने वाले अभियुक्त को घटना के कुछ ही घंटों में किया गया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 13.06.2026 को वादी श्री शिवसिंह उर्फ कल्लू पुत्र रामखेलावन निवासी मोहल्ला वहापर, कस्बा हसवा, थाना थरियांव जनपद फतेहपुर द्वारा थाना थरियांव पर लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया कि उसकी पुत्री रंजू की शादी लगभग एक माह पूर्व ग्राम सोनही थाना राधानगर जनपद फतेहपुर निवासी पिन्टू उर्फ अजय यादव के साथ हुई थी। उसका पुत्र संदीप अपनी बहन रंजू के किसी अन्य युवक से बातचीत करने को लेकर संदेह करता था तथा इसी बात को लेकर परिवार में विवाद रहता था। दिनांक 12.06.2026 को अभियुक्त संदीप अपनी बहन को उसकी ससुराल से घर लाते समय ग्राम हसवा स्थित गुड्डू के खेत के पास बने पुराने कुएँ के निकट उसका गला दबाकर हत्या कर दी तथा साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को कुएँ में फेंक दिया। उक्त सूचना के आधार पर थाना थरियांव पर मु0अ0सं0 138/2026 धारा 103(1)/238 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- श्रीमान अभिमन्यु मांगलिक पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी थरियांव के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक थाना थरियांव मय पुलिस टीम क्षेत्र में मौजूद थे। इसी दौरान चौकी हसवा पर एक युवक द्वारा स्वयं उपस्थित होकर अपनी बहन की हत्या कर शव कुएँ में फेंकने की सूचना दी गयी। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुँची। अभियुक्त की निशानदेही पर ग्राम हसवा स्थित खेत के पास बने पुराने कुएँ में महिला का शव बरामद हुआ। फायर ब्रिगेड एवं फरेंसिक टीम की सहायता से शव बाहर निकलवाया गया। घटनास्थल का वैज्ञानिक परीक्षण कराया गया तथा उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभियुक्त द्वारा घटना स्वीकार करने पर अभियुक्त संदीप को दिनांक 13.06.2026 को घटनास्थल से विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया। आज दिनांक 14.06.2026 को गिरफ्तार अभियुक्त माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पूछताछ का विवरणः- पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया कि उसकी बहन रंजू की शादी लगभग एक माह पूर्व हुई थी, किन्तु वह किसी अन्य युवक से बातचीत करती थी, जिससे उसके ससुराल एवं परिवार में लगातार विवाद एवं बदनामी हो रही थी। अभियुक्त अहमदाबाद से वापस आकर अपनी बहन को समझाने का प्रयास करता रहा, परन्तु जब वह नहीं मानी तो दिनांक 12.06.2026 की शाम उसे ससुराल से घर लाते समय रास्ते में ग्राम हसवा स्थित पुराने कुएँ के पास उसका गला दबाकर हत्या कर दी तथा शव को कुएँ में फेंक दिया। घटना के बाद रातभर इधर-उधर भटकता रहा तथा अगले दिन पश्चाताप होने पर स्वयं चौकी हसवा पहुँचकर घटना की सूचना दी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

संदीप पुत्र शिवसिंह उर्फ कल्लू निवासी ग्राम वहापर, हसवा थाना थरियांव जनपद फतेहपुर उम्र लगभग 22 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.श्री समशेर बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना थरियांव
2.श्री सुरजीत कुमार, निरीक्षक अपराध
3.उ0नि0 अरुण कुमार मौर्या, चौकी प्रभारी हसवा
4.उ0नि0 सतीश कुमार
5.हे0का0 पंकज त्रिपाठी
6.रि0का0 विकास पटेल
7.रि0का0 राहुल यादव

उत्तर प्रदेश पुलिस